Regd. No: CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2014
(PHALGUNA 1, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 20th February, 2014

No. 3—HLA of 2014/4.—The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2014 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 3—HLA of 2014

THE PUNJAB SCHEDULED ROADS AND CONTROLLED AREAS RESTRICTION OF UNREGULATED DEVELOPMENT (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2014

A

BILL

further to amend the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty fifth

Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Act, 2014.

Amendment of section 2 of Punjab Act 41 of 1963

2. After clause (1) of section 2 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 the following clause shall be inserted, namely: —

'(1a) "abadi deh" means the area falling within circular road around village abadi also commonly known as phirni, fixed at the time of consolidation under the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Rules, 1949 framed under the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (East Punjab Act 50 of 1948):

Provided that in case phirni as mentioned above has not been fixed under the said Act, then abadi-deh shall mean the area falling within lal dora;'.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 22 (a) of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (hereinafter referred to as Act of 1963) saves abadi deh of any village from the operation of Act ibid. However, term 'abadi deh' of village has not been defined under the Act of 1963. In fact, abadi deh has not been defined even in Punjab Land Revenue Act, 1887 or Punjab Village Common Land (Regulation) Act, 1961 or the East Punjab Holding (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (hereinafter referred to as Act of 1948). In absence of definition of word 'abadi deh', Department of Town & Country Planning was treating the area falling within 'lal dora' to be co-terminus with the area falling within the abadi deh. As a result, construction raised by rural inhabitants beyond lal dora but within phirni fixed at the time of consolidation under Act of 1948, was construed as unauthorised construction, thus causing undue hardship to rural population.

2. As already stated above, general view in the Department of Town & Country Planning is that abadi deh is confined to lal dora only. However, Tribunal constituted under section 12 (C) of Act of 1963, in Appeal No. 24/2000 titled as Pritam Singh *versus* Director, Town and Country Planning, Haryana, *vide* its orders dated 21/09/2000 has laid that abadi deh is the area comprised within phirni of the village.

3. The aforesaid orders of Hon'ble Tribunal were upheld by Hon'ble High Court in CWP No. 7560 of 2001 titled as State of Haryana *versus* Pritam Singh.

4. The SLP No. 18561 of 2001 filed against the orders of Hon'ble High Court was dismissed as withdrawn. Thus, the aforesaid orders of Hon'ble Tribunal have attained finality.

In view of above decision of Hon'ble Tribunal/ Courts and also to remove ambiguity in respect of construction raised by rural inhabitants beyond lal dora but within phirni fixed at the time of consolidation proceedings under Act of 1948, it is necessary to define word 'abadi deh' in the Act of 1963, in consonance with the judicial pronouncements discussed above and the provisions of Act of 1948.

Hence this Bill.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 20th February, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 3–एच.एल.ए.

पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2014

पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

1963 का पंजाब अधिनियम 41 की धारा 2 का संशोधन।

2. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खण्ड (1) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:

'(1क) "आबादी देह" से अभिप्राय है, पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 50) के अधीन बनाए गए पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) नियम, 1949 के अधीन चकबंदी के समय निर्धारित फिरनी के रूप में भी सामान्य रूप से ज्ञात गांव आबादी के चारों ओर सर्कुलर रोड के भीतर आने वाला क्षेत्र :

परन्तु यदि ऊपर यथा वर्णित फिरनी उक्त अधिनियम के अधीन निर्धारित नहीं की गई है, तो आबादी देह से अभिप्राय होगा लाल डोरा के भीतर आने वाला क्षेत्र ;'।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

पंजाब अनुसूचित सडक तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (जिसे, इसमें, इसके बाद 1963 के अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 22 (क) पूर्वोक्ता अधिनियम के प्रवर्तन से किसी गांव की आबादी देह को बचाती है। तथापि, गांव की 'आबादी देह' शब्द 1963 के अधिनियम के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है। वास्तव में, आबादी देह को पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 या पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 या पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) अधिनियम, 1948 (जिसे, इसमें, इसके बाद 1948 के अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में भी परिभाषित नहीं किया गया है। 'आबादी देह' शब्द की परिभाषा के अभाव में, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग द्वारा 'लाल डोरा' में पड़ने वाले क्षेत्र को ही आबादी देह माना जाता रहा है। परिणामस्वरूप, लाल डोरे के बाहर ग्रामीण वासियों द्वारा किए गए निर्माण, किन्तु 1948 के अधिनियम के अधीन चकबन्दी के समय पर नियत फिरनी के भीतर, किये गये निर्माणों को अनाधिकृत निर्माण माना जाता रहा है, जिससे ग्रामीण जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

2. जैसा कि ऊपर बताया गया है, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अवधारणा में आबादी देह केवल लाल डोरा में परिसीमित है। यद्यपि, 1963 के अधिनियम की धारा 12(ग) के अधीन गठित अधिकरण ने अपील संख्या 24/2000 शीर्षक प्रीतम सिंह बनाम निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना, हरियाणा में अपने आदेश दिनांक 21-09-2000 द्वारा माना है कि आबादी देह उस गांव की फिरनी के भीतर समाविष्ट क्षेत्र है।

3. अधिकरण के पूर्वोक्त आदेशों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 7560/2001 शीर्षक हरियाणा राज्य बनाम प्रीतम सिंह में परिपुष्ट किया है।

4. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध दायर एस.एल.पी. संख्या 18561/2001 जो वापस लेने उपरांत खारिज कर दी गई। इस प्रकार, माननीय अधिकरण के पूर्वोक्त आदेशों ने अन्तिमता प्राप्त कर ली है।

माननीय अधिकरण/न्यायालयों के उपरोक्त निर्णय तथा लाल डोरे से बाहर किन्तु 1948 के अधिनियम के अधीन चकबन्दी कार्यवाही के समय पर नियत फिरनी के भीतर ग्रामीण निवासियों द्वारा किए गए निर्माणों के सम्बन्ध में अस्पष्टता को दूर करने के लिए, उपरोक्त विवेचित न्यायिक निर्णयों के अनुकूल तथा 1948 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप, 1963 के अधिनियम में आबादी देह शब्द परिभाषित करना आवश्यक है।

अतः यह विधेयक।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ :
दिनांक 20 फरवरी, 2014

सुमित कुमार,
सचिव।

52030—H.V.S.—H.G.P., Chd.